

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जयपुर
जंगाराम बनाम जगदीश

क्रमा संख्या / वर्ष : 03/24 / 2024 / 152

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p> लिखित (1) तथा (2) उल्लेखित/पत्रावली का जवाब बन्द किया गया है। पत्रावली लकीपार/ साक्ष्यवादी हेतु दिनांक 10/11/24 को पेश है। </p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर </p> <p> पत्रावली पेश हुई। ककुलाय द्वारा कन्डोलेंस / कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक <u>09/01/25</u> को पेश है। </p> <p> पत्रावली पेश हुई। ककुलाय द्वारा कन्डोलेंस / कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक <u>3/2/25</u> को पेश हो </p> <p> पत्रावली पेश हुई। P.O. सा जीरे/ कार्य लम्बित रहने के कारण कार्य नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक <u>18/3/25</u> को पेश हो ✓ </p> <p> पत्रावली पेश हुई वकील पत्रकार अनुपास्थित। प्रकरण में कोई समाप्ति तक बार-बार आवाज दिलाई गई। कोई हाजिर अदालत नहीं आये हैं। अतः अधिवक्ता व पत्रकारानु की अनुपास्थिति में दावा अदम बजरी व अदम प्रैरवी में खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर है। </p>	

10/11/24

9/01/25

3.2.25

18/03/25

उपखण्ड अधिकारी
 बस्सी जिला-जयपुर